

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ निकायों के कार्य-
वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ निकायों के कार्य-
वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ निकायों के कार्य-
वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ निकायों के कार्य-वाही के अन्तर्गत

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
जलास श्री के० आर० खौड, आर०ए०एस०

वतसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता निवासी फूलियाकलां

- वादीगण

बनाम

रामसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तह० फूलियाकलां
गोपालसिंह, पप्पूसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां
मैनेजर, आई०सी०आई०सी०आई० शाखा गुलाबपुरा
तहसीलदार, फूलियाकलां

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-89-188 आर०टी०ए०

मुकदमा नम्बर 11/2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील व
मिनजानिब मुदई वX..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री
जाती है कि :-

अभिभाषक वादी के प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निज मुबलिंग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख
तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 27 माह 06 सन् 2017 को जारी की



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा